उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-07/2019/90/92-2-19-27जॉच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 08 जनवरी,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जॉच आख्या दिनांक 13.12.2018 में डब्ल्यू0बी0एम0 (जी-2) एवं डब्ल्यू0बी0एम0 (जी-3) में फिलर मैटेरियल/स्क्रैनिंग मैटेरियल की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति पी0आई0यू0-मेरठ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल -अलीगढ़ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-बुलंदशहर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) ससमय शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 07/2019/90 (1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0 के पत्र सं0-102/पीए-सीटीई/2857-143/05/2018-19 दि0 13-12-2018 की **छाया प्रति** संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में आरोपपत्र गठित कर 03 दिवस में शासन को उपलब्ध करायें। **(संलग्न यथोक्त)**

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ़।

3- प्रस्तुततकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-बुलंदशहर।

4- श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति पी0आई0यू0-मेरठ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in